



हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA

(संसद अधिनियम 25 (2009) के तहत स्थापित)

(Established vide Act No. 25 (2009) of Parliament)

गांव: जांट-पाली, जिला-महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) . 123031

Village: Jant-Pali, Distt: Mahendergarh (Haryana)-123031

No: CUH/2026/Vigilance/.108..

Date..10.06.2026..

अधिसूचना

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत, सतर्कता अनापत्ति प्रमाण-पत्र (Vigilance Clearance Certificate) के संबंध में निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं:

1. सतर्कता अनापत्ति प्रमाण-पत्र (Vigilance Clearance) की वैधता अवधि, निर्गमन की तिथि से 30 दिन तक मान्य होगी।
2. ऐसे प्रकरणों में, जहाँ कोई कर्मचारी एक साथ दो अथवा अधिक पदों/संस्थानों हेतु आवेदन करता है, संबंधित कर्मचारी द्वारा सभी आवेदनों के लिए एक ही Vigilance Clearance प्रोफार्मा प्रस्तुत किया जाएगा।

उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य सतर्कता अधिकारी
हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय
महेन्द्रगढ़, हरियाणा

उपरोक्त की प्रति सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की जाती है।

1. सहायक कुलसचिव, कुलपति सचिवालय (आदरणीय कुलपति महोदय की सूचना हेतु), हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़।
2. कुलसचिव कार्यालय, हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़।
3. समस्त डीन/विभागाध्यक्ष/प्रभारी/प्रशासनिक प्रमुख, हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़।
4. सिस्टम एनालिस्ट, हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़।
5. कार्यालय प्रतिलिपि।

सहायक कुलसचिव (सतर्कता विभाग)
हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय
महेन्द्रगढ़, हरियाणा